

इज़राइल ने कतर पर हमला किया

9 सितंबर, 2025 की दोपहर को, कतर की राजधानी दोहा में कई विस्फोटों ने शहर को हिला दिया, जिससे लेगटैफिया-कतारा जिले के ऊपर काले धुएँ के बादल छा गए। प्रत्यक्षदर्शियों, तस्वीरों और रॉयटर्स की मौके पर की गई रिपोर्टिंग ने 9 सितंबर को दोहा में कई विस्फोटों की पुष्टि की, जिसमें लेगटैफिया पेट्रोल स्टेशन के पास धुएँ के स्तंभ उठते देखे गए, जो आवासीय परिसर के निकट था, जिसे कतर की अमिरी गार्ड द्वारा संरक्षित किया जाता है। आपातकालीन वाहनों को तुरंत क्षेत्र में भेजा गया। कई पिछली कार्रवाइयों के विपरीत, जहां इज़राइल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, IDF और शिन बेट ने कुछ ही घंटों में बयान जारी किए, जिसमें दावा किया गया कि यह हमला नेतृत्व के खिलाफ दोहा में एक संयुक्त “सटीक हमला” था। इज़राइली अधिकारियों ने इस हमले को अक्टूबर 2023 की युद्ध के बाद हमला के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा बताया।

अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

9 सितंबर, 2025 को दोहा पर किया गया हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था; यह अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था पर सीधा हमला और उन नाजुक संरचनाओं पर था जो राज्यों और लोगों को शांति वार्ता करने में सक्षम बनाती हैं। यह अध्याय संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हमले के कानूनी आयामों की जांच करता है, और फिर भविष्य के मध्यस्थता प्रयासों, युद्धविराम वार्ता और उन मेजबान देशों की सुरक्षा के लिए प्रतीकात्मक और व्यावहारिक परिणामों पर विचार करता है जो कूटनीतिक स्थान प्रदान करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। कतर के सहमति के बिना किया गया इज़राइल का हमला स्पष्ट रूप से इस निषेध के अंतर्गत आता है। कतर एक संप्रभु संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य है; इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है कि उसका क्षेत्र वैध अपवाद के अभाव में कानूनी रूप से हमले का शिकार नहीं हो सकता।

केवल मान्यता प्राप्त अपवाद अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा है, जो तब लागू होता है जब कोई राज्य “सशस्त्र हमले” का सामना करता है। इज़राइल ने गाजा और लेबनान में हमला के खिलाफ आत्मरक्षा का हवाला दिया है; लेकिन कतर की सुरक्षा में दोहा में रहने वाले हमला के सदस्यों पर इस तर्क को लागू करना सबसे अच्छे रूप में कमजोर है।

- कतर इज़राइल के खिलाफ हमले शुरू नहीं कर रहा था।
- दोहा में हमला के वार्ताकार कूटनीतिक वार्ताओं में लगे थे, न कि सक्रिय युद्ध में।
- “अनिच्छुक या असमर्थ” सिद्धांत, जिसे कभी-कभी सीमापार आतंकवाद विरोधी हमलों को उचित ठहराने के लिए उद्धृत किया जाता है, अत्यधिक विवादास्पद है और इसे कभी भी कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया गया है जब इसे सक्रिय रूप से कूटनीति में शामिल सहयोगी राज्य के खिलाफ लागू किया जाता है।

संक्षेप में, कतर में इज़राइल की कार्रवाई को आत्मरक्षा के रूप में विश्वसनीय रूप से बचाव नहीं किया जा सकता। यह चार्टर का उल्लंघन करते हुए बल का उपयोग है, जो सामान्य सभा के संकल्प 3314 के तहत आक्रामकता का कार्य माना जाता है।

रोमन कानून से लेकर वियना सम्मेलनों तक, दूतों की अखंडता कूटनीति का एक मूलभूत नियम रहा है। वार्ताकारों—यहाँ तक कि विरोधियों—को सुरक्षित मार्ग और संरक्षण की गारंटी दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस सिद्धांत को बार-बार रेखांकित किया है, विशेष रूप से तेहरान बंधक मामले में, जहाँ इसने दूतों की अखंडता को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का आधार बताया।

हालांकि हमला एक मान्यता प्राप्त राज्य नहीं है, इसके वार्ताकारों को कतर द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया था ताकि युद्धविराम वार्ता आयोजित की जा सके। उन्हें मेजबानी देकर, कतर ने सुरक्षित आचरण की गारंटी दी, और

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने उन्हें **कार्यात्मक शांति दूतों** के रूप में माना—जैसे कि दोहा में तालिबान वार्ताकारों या हवाना में FARC दूतों की तरह। इसलिए, उन्हें निशाना बनाना न केवल कतर की संप्रभुता का उल्लंघन था, बल्कि **वार्ता की अखंडता के सुरक्षात्मक आवरण को भी तोड़ दिया।**

यह हमला कतर के लिए ही एक **गंभीर अपमान** है:

- इसकी **राजधानी पर हमला**, जिसने नागरिकों को खतरे में डाला।
- बिना सहमति के किया गया, जिसने इसकी **क्षेत्रीय अखंडता के अधिकार** को कमजोर किया।
- इसकी **तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका** को सीधे तोड़फोड़ करना, जो अंतरराष्ट्रीय प्रथा में शांति में योगदान के रूप में स्थापित है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, कतर को इस हमले को **सशस्त्र हमला** के रूप में चिह्नित करने का अधिकार है, जिससे वह **अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा** का आह्वान कर सकता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष निवारण की मांग कर सकता है।

कूटनीति पर ठंडक का प्रभाव

इस हमले का प्रतीकात्मक संदेश विनाशकारी है: **कोई भी देश जो शांति वार्ता की मेजबानी करता है, वह युद्ध का मैदान बन सकता है।** यदि वार्ताकार अपने होटल के कमरों या कूटनीतिक आवासों में निशाना बन सकते हैं, तो:

- **मेजबान राज्य** मध्यस्थता के लिए अपने क्षेत्र की पेशकश करने में संकोच करेंगे।
- **वार्ताकार** हत्या के डर से यात्रा करने से इनकार कर सकते हैं।
- **कूटनीतिक मध्यस्थ** (जैसे संयुक्त राष्ट्र, कतर, मिस्र, या नॉर्वे) सुरक्षा के गारंटर के रूप में अपनी विश्वसनीयता खो सकते हैं।

दोहा हमले ने **युद्धक्षेत्र और नागरिक राजधानी** के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। एक **आवासीय परिसर**, एक **पेट्रोल स्टेशन**, और आसपास के नागरिक पड़ोस एक विदेशी सैन्य कार्रवाई द्वारा खतरे में पड़ गए। यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का एक स्तंभ, **भेदभाव के सिद्धांत** को कमजोर करता है, और अन्य मेजबान देशों को चेतावनी देता है कि उनकी **नागरिक बुनियादी ढांचा केवल शांति निर्माण में संलग्न होने के कारण संपार्श्विक क्षति** हो सकता है।

मध्यस्थ **विश्वास और तटस्थता** पर पनपते हैं। दोहा में हमला करके, इज़राइल ने निहित रूप से कतर को—जो इज़राइल और हमास के बीच लंबे समय से मध्यस्थ रहा है—एक असुरक्षित स्थान के रूप में चिह्नित किया। इसका प्रभाव कतर की मध्यस्थता को अवैध ठहराना और तीसरे देशों को समान सेवाएँ प्रदान करने से हतोत्साहित करना है। ठंडक का प्रभाव तत्काल है: संघर्ष में शामिल पक्ष यह गणना कर सकते हैं कि **शांति वार्ता की मेजबानी अब आपकी राजधानी को निशाना बनाती है।**

यह उल्लंघन कतर से परे जाता है। यह दुनिया को संकेत देता है कि:

- **शांति वार्ता निष्पक्ष खेल हैं।**
- **कूटनीतिक सुरक्षा बलिदान योग्य हैं।**
- **तटस्थ राज्य सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते।**

ऐसा नजीर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 द्वारा अनिवार्य **विवादों के शांतिपूर्ण समाधान** को कमजोर करता है और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष समाधान की पहले से ही नाजुक बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है।

इज़राइल एक दुष्ट आतंकवादी राज्य के रूप में

बिना किसी औचित्य के एक संप्रभु संयुक्त राष्ट्र सदस्य की राजधानी पर हमला करके, इज़राइल ने प्रदर्शित किया है कि वह **अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सबसे मूलभूत नियमों का उल्लंघन** करने के लिए तैयार है। यह व्यवहार अलग-थलग नहीं है: यह क्षेत्रीय हत्याओं, लक्षित हत्याओं और मेजबान राज्य की संप्रभुता की अवहेलना के व्यापक पैटर्न का अनुसरण करता है।

एक **दुष्ट राज्य** केवल विचारधारा द्वारा परिभाषित नहीं होता, बल्कि **अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के प्रति निरंतर अवहेलना** द्वारा:

- बिना कानूनी औचित्य के बल का उपयोग।
- सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की अवहेलना।
- कानूनी सीमाओं से परे विस्तारवादी या क्षेत्रीय कार्रवाइयाँ। सभी मामलों में, दोहा में इज़राइल का हमला इस विवरण में फिट बैठता है।

आवासीय क्षेत्र में शांति वार्ताकारों को निशाना बनाना आतंकवाद की विशेषताओं को वहन करता है:

- राजनीतिक उद्देश्यों के लिए **हिंसा का उपयोग**।
- **नागरिकों को खतरे में डालना**।
- **न केवल हमला, बल्कि कतर और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए धमकी का संदेश**। इस अर्थ में, इज़राइल ने एक जिम्मेदार राज्य के रूप में नहीं, बल्कि **राज्य शक्ति का उपयोग करने वाली आतंकवादी इकाई** के रूप में कार्य किया।

कतर की प्रतिक्रिया

एक राज्य का प्राथमिक कर्तव्य अपने **नागरिकों की सुरक्षा** और **अपने क्षेत्र की अखंडता** सुनिश्चित करना है। इज़राइल का हमला दोनों को खतरे में डाल दिया।

कतर के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को **“कायरतापूर्ण आपराधिक हमला”** के रूप में निंदा की, यह जोर देते हुए कि हमले ने **हमलास वार्ताकारों को आश्रय देने वाले आवासीय भवनों** को निशाना बनाया। दोहा ने इसे **अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन** और **कतर की संप्रभुता का उल्लंघन** करार दिया। सरकार ने “उच्चतम स्तर” पर तत्काल जांच की घोषणा की।

अमेरिकी सहयोगी के रूप में कतर की अनूठी ताकत

कतर **अल उदैद वायु सेना अड्डे** की मेजबानी करता है, जो मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी प्रतिष्ठान है, और इसे **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी** के रूप में नामित किया गया है। वाशिंगटन क्षेत्र में **शक्ति प्रक्षेपण, रसद और मध्यस्थता** के लिए कतर पर निर्भर करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से अपने **वीटो शक्ति** का उपयोग इज़राइल की आलोचना करने वाले सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को अवरुद्ध करने के लिए किया है। इस कूटनीतिक ढाल ने इज़राइल को अपेक्षाकृत दंडमुक्ति के साथ कार्य करने में सक्षम बनाया है। हालांकि, कतर के पास अब यह तर्क देने की विश्वसनीयता है कि **अमेरिका द्वारा इज़राइल की निरंतर सुरक्षा कतर की अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करती है**।

- **अमेरिकी दूतावास को निष्कासित करना**: एक कट्टरपंथी लेकिन कानूनी कूटनीतिक उपाय यदि अमेरिका इज़राइल की रक्षा करना जारी रखता है।
- **अमेरिकी अड्डे पर पुनर्विचार**: मेजबान राष्ट्र समझौतों को निलंबित करना या समाप्त करना यदि अड्डा कतर की रक्षा करने में विफल माना जाता है या इज़राइली कार्रवाइयों को मौन रूप से सक्षम बनाता है।
- **अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा**: कतर को कानूनी रूप से इस हमले को **सशस्त्र हमला** मानने और आनुपातिक रूप से जवाब देने का अधिकार है—चाहे वह सैन्य उपायों, साइबर संचालन, या पारस्परिक कूटनीतिक/आर्थिक कार्रवाइयों के माध्यम से हो।

निष्कर्ष

दोहा पर इज़राइल का हमला **राज्य आतंकवाद और दुष्ट आचरण** का एक कार्य था, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कतर, जो एक अमेरिकी सहयोगी और महत्वपूर्ण अमेरिकी बलों के मेजबान के रूप में विशिष्ट रूप से तैनात है, अब एक गहन निर्णय का सामना करता है: या तो सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा

इज़राइल की निरंतर रक्षा को स्वीकार करना, या अपनी संप्रभुता को परिवर्तन की मांग करके दावा करना। यदि वाशिंगटन इनकार करता है, तो कतर के पास अपने नागरिकों के प्रति **कानूनी अधिकार** और **नैतिक कर्तव्य** दोनों हैं कि वह कठोर उपाय करे—**अमेरिकी कूटनीतिक और सैन्य संपत्तियों को निष्कासित करने** से लेकर **अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा** का आह्वान करने तक। यह विकल्प न केवल कतर की विदेश नीति को परिभाषित करेगा, बल्कि स्वयं अंतरराष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता को भी परिभाषित करेगा।